(20)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 716-III-15

रमेश कुमार तनय श्री रामस्वरूप (मृतक) द्वारा वारिसान।

1. विनीत कुमार तनय स्व.श्री रमेश कुमार उम्र 40 वर्ष।
2. संजय मिश्रा तनय स्व. श्री रमेश कुमार उम्र 35 वर्ष। दोनों निवासी साकिन निपनिया वार्ड नं.1 तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

65
23.15

—————निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ठाकुर प्रसाद तनय लोकनाथ।
2. श्री कृष्णकांत तनय श्री ज्वाला प्रसाद।
3. विष्णुकांत तनय श्री ज्वाला प्रसाद। उपरोक्त समस्त निवासी निपनिया वार्ड नं.1 तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

—————गैर निगरानीकर्तागण

श्री [illegible] के द्वारा आज दिनांक 23-2-2015 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्र. 639/अपील 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 3.1.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

क्रमांक 4796
[illegible] पोस्ट द्वारा आज [illegible] को प्राप्त [illegible] नायब,
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत हो[ने] से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि भूमि क्र. 929/2 एवं 929/3 जिसका नया नंबर 1395 स्थित साकि[न] निपनिया तहसील हुजूर जिला रीवा निगरानीकर्तागण के बाबा रामस्वरूप की स्वअर्जि[त] संपत्ति है जिसमें गैर निगरानीकर्तागण का कोई हक व हित नहीं है। किन्तु फिर भ[ी] गैर निगरानीकर्तागण द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर की अदालत में प्रकरण प्रस्तु[त] कर बिना किसी अंतरण के अपने नाम भूमियों का नामांतरण किये जाने हेतु आवेद[न] प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई कर तहसीलदार द्वारा गैर निगरानीकर्तागण का को[ई] हक न पाते हुए तथा सह खातेदार भी न होने के कारण आवेदन निरस्त कर दि[या]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 716–तीन/15 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। अनावेदक कैवियेटकर्ता का पुकार लगबाई गई कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 639/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2015 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि कमांक 929/2 एवं 929/3 जिसका नया नंबर 1395 स्थित साकिन निपनिया तहसील हुजूरजिला रीवा निगरानीकर्ताण के बाबा रामस्वरूप की स्वअर्जित संपत्ति है जिसमें गैर निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर की न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर बिना किसी अंतरण के अपने नाम भूमियों का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई कर तहसीलदार द्वारा गैर निगरानीकर्तागण का कोई हक न प्राप्ते हुये तथा सह खातेदार भी न होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी हुजूर की न्यायालय में	

गैर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गयी जिस पर विधि विरूद्व रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया गया जिसके विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 639/अपील/2007—08 पर दर्ज कर, में पारित आदेश दिनांक 03.01.2015 को अपील निरस्त कर दी गई है । अंत में उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि में गैर निगरानीकर्तागण जब कोई हित नहीं है तो इस संबंध में प्रकरण चलाये जाने का कोइ औचित्य नहीं है तब ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि नये संशोधन में प्रकरण रिमाण्ड करने का भी प्रावधान समाप्त किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

3—अनावेदक कैवियेटकर्ता अबाज लगाने पर अनुपस्थित रहे। मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया । तहसीलदार के द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील

प्रस्तुत की जो तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रीवा के द्वारा व्यवहर वाद कमांक 28अ/1978 आदेश दिनांक 27.7.78 में यह लेख किया है कि वादग्रसत भूमि पर वादी का कोई स्वत्व निहित नहीं है। फिर भी तहसीलदार के द्वारा अनावेदक का नामांतरण का आवेदन निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 639/अपील/2007—08 में पारित आदेश दिनांक 03.01. 2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य